सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-151/2021 दिनांक- 23-मार्च-2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सरायमीर

तीन-तीन अवैध तमंचा व कारतूस के साथ तीन गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन मे चलाये जा रहे अभियान अपराधीयो व वाँछितो तथा चोरो की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 22.03. को 2021**व शमशेर यादव 0नि0उ0मय हमराह व उ विपिन कुमार सिंह 0नि0मय हमराह द्वारा** देखभाल क्षेत्र में मामुर थे कि मुखबीर खास की सूचना पर अभियुक्तगण1 . अबु आलिम पुत्र मो2 एकराम निवासी शेरवा थाना सरायमीर आजमगढ़ 0. मोहम्मद अतिकुर्रहमान पुत्र नेसार अहमद निवासी मुहल्ला पठान टोला कस्बा व थाना सरायमीर आजमगढ़ को मय दो अदद तमन्चा बोर 315 14 बोर के साथ समय करीब 315 0अदद जिन्दा कार 02 व.3 बजे फत्तनपुर पुलिया के पास से व 50. मोहम्मद अजीम पुत्र मसरुर अहमद निवासी मुडियार थाना फूरपुर जनपद आजमगढ़ को मय एक अदद तमंचा बोर के 12 0 बोर व एक अदद जिन्दा कार 12 साथ नन्दाँव मोङ से शेरवा जाने वाले मार्ग पर कब्रिस्तान के पास से समय करीब 16. बजे 20गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अबु आलिम पुत्र मोएकराम निवासी शेरवा थाना सरायमीर आजमगढ़ । 0
2. मोहम्मद अतिकुर्रहमान पुत्र नेसार अहमद निवासी मुहल्ला पठान टोला कस्बा व थाना सरायमीर आजमगढ़।
3. मोहम्मद अजीम पुत्र मसरुर अहमद निवासी मुडियार थाना फूरपुर जनपद आजमगढ़ ।

बरामदगी

दो अदद तमन्चा बोर 315, 02 अदद जिन्दा कारबोर 315 0 व एक अदद तमंचा बोर 12 0बोर व एक अदद जिन्दा कार 12

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0037 0सं0अ0/3 धारा 2021/ थाना सरायमीर आजमगढ़ ।- आर्म्स एक्ट 25
2. मु0038 0सं0अ0/3 धारा 2021/थाना सरायमीर आजमगढ़ ।- आर्म्स एक्ट 25
3. मु0039 0सं0अ0/3 धारा 2021/थाना सरायमीर आजमगढ़ ।- आर्म्स एक्ट 25

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.व0नि0उ0 शमशेर यादव थाना सरायमीर आजमगढ ।
2.उ0नि0 विपिन कुमार सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़ ।
3.काहिमांशू सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ । 0
4.काराहुल कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ । 0
5.काअश्वनी यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ । 0

थानाबरदह -

एक किलो ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तगण वाहन के आदेश निर्देश के अनुपालन/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 22.3. शमशाद अली 0नि0को उ 2021 मय हमराह के दे्खभाल क्षेत्र चेकिंग पिकेट, जाँच प्रा वाहन तथा पेण्डिग/पत्र शान्ति व्यवस्था व सुरक्षा ड्यूटी चेकिंग व्यक्ति 0 गण की गिरफ0मुकदमात की विवेचना तथा वांछित अभि्तारी में रवाना होकर क्षेत्र में मामूर थे तथा कार्य सरकार का निष्पादन कर रहे थे। मु60 0सं0अ0/ 506 धारा 2021IPC व मु61 0सं0अ0/ 506 धारा 2021IPC की विवेचना के बाद ग्राम बीकापुर से मुक्तिपुर बाजार होते हुए गश्त करते हुए महुजा मोड़ की ओर जा रहे थे जैसे ही महुजा मोड़ पर पहुँचे तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुखबिर खास द्वारा बताया कि एक व्यक्ति भादों मोड़ पर खड़ा है जिसके पास गाँजा है। बेचने की फिराक में है मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हमराह कर्मचारीगण को के मुखबिर को साथ लेकर बताये स्थान की तरफ बढ़े। भादों मोड़ से लगभग कदम पहले ही 50 मुखबिर ने भादों मोड़ की तरफ एक व्यक्ति की ओर इशारा करके बताया कि वही व्यक्ति है जिसके हाथ में प्लास्टिक का थैला है। मुखबिर गाड़ी से उतरकर चला गया।पुलिस टीम ने सराकारी जीप उसके पास रोकी वह व्यक्ति भादो की तरफ भागाने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर घेर कर भागे व्यक्ति को 20 कदम की दूरी पर समय 20. बजे पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूँछते 30 सैदपुर उर्फ सैय्यद बहाउद्दीनपुर थाना बरदह 0 हुए जामातलाशी पर इसने अपना नाम अरबिन्द राजभर पुत्र मेवालाल राजभर नि जनपद आजमगढ़ बताया। जामातलाशी पर दाहिने हाथ में पकड़े प्लास्टिक के थैले में ग्राम गांजा बरामद हुआ । 100 किलो 1 नाजायज गाँजा रखने के सम्बन्ध मे8/20 NDPS ACT का दण्डनीय अपराध बताकर हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियुक्त का गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अरबिन्द राजभर पुत्र मेवालाल राजभर नि सैदपुर उर्फ सैय्यद बहाउद्दीनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 0

बरामदगी-

1 किलो ग्राम गांजा 100

पंजीकृत अभियोग-

मु 0स0अ062/21 धारा 8/20 NDPS ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उअमरनाथ शर्मा 0शमशाद अली मय हमराह कां 0नि0, थाना बरदह जनपद आजमगढ

2- कांरवि कुमार यादव 0, मपारूल मिश्रा 0कां0 थाना बरदह जनपद आजमगढ

थानाबरदह -

ग्राम 600 नाजायज गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 23.03. को 2021SI संजय सिंह मय हमराह के देखभाल क्षेत्र रोकथाम जूर्म जरायम पेण्डिग विवेचना तलाश वांछित संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वाहनों की/ चेकिंग करत े हुए भीरा की ओर आ रहा थे कि पसिका गेट के पास मुखबीर ने बताया कि राजेपुर मिडिल स्कूल के पास एक व्यक्ति खड़ा है जिसके पास गांजा है मुखबीर को साथ लेकर बताये हुए स्थान की ओर आये जहां ठेकमा से भीरा की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर मिडिल स्कूल के सामने खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करके चला गया तथा पुलिस टीम सामने खड़े व्यक्ति के पास छिपते छुपाते करीब पहुँचे कि अचानक पुलिस टीम को देखकर पीछे मूड़कर स्कूल गेट के अन्दर जाने लगा जिसे हमराह पुलिस बल के सहयोग से स्कूल गेट पर ही समय करीब 11. 20AM बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम पिन्टू सरोज पुत्र रामजीत सरोज निवासी ग्राम राजेपुर थाना बरदह जिला आजमगढ़ उम्र-29 वर्ष बताया तथा भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि मेरा पास झोले में नाजायज गांजा है इस लिये आप लोगो के देखकर भाग रहा था पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ में लिये एक प्लास्टिक के झोले में नायाजय गांजा मिला। बरामद गांजा का वजन करवाया गया तो कुल-600 ग्राम निकला। इस पर पकड़े गये व्यक्ति को नाजायत गांजा रखने के सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया तो नही दिखा सका । तत्पश्चात आरोपी को 8/ 20NDPS ACT का दण्डनीय अपराध बताकर हिरासत पुलिस तथा आरोपी के पास खड़ी मोटर साइकिल होण्डा आईकान बिना नम्बर की कागजात तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा इस प्रकार वाहन मोटर साइकिल को M.V. ACT की धारा में सीज किया गया। 207 अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु 0स0अ063/21 धारा 8/20 NDPS ACT

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त पिन्टू सरोज पुत्र रामजीत सरोज निवासी ग्राम राजेपुर थाना बरदह जिला आजमगढ़

बरामदगी-

ग्राम गांजा 600

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SI संजय सिंह मय हमराह कान्स अनुपम सिंह 0HC योगेन्द्र यादव कान्स,अभय प्रताप सिंह **थाना बरदह जनपद आजमगढ**

थानाबरदह -

एक वारण्टी गिरफ्तार

आज दि23 0.03. देवलाल यादव मय हमराह 0नि0को उ 2021द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व रात्रि गश्त/ रात्रि पिकेट चेकिग करत े हुए तलाश वारण्टी हेतु ग्राम खर्राट पहुचे तथा वारण्टी ब्रम्हदेव राय पुत्र सत्य नरायन राय सा खर्राट 0 थाना बरदह जनपद आजमगढ की गिरफ्तारी हेतु दविश दी गई तो एक व्यक्ति घर के सामने चारपाई पर चादर ओढे लेटा हुआ था पास जाकर उसको जगाया गया तथा उससे उसका नाम व पता पूछा गया तो उसने अपना नाम **ब्रम्हदेव राय पुत्र सत्य नरायन राय सा खर्राट थाना बरदह जनपद आजमगढ 0**बताया चूकि वारण्टी उपरोक्त के विरूद्ध न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवारिक न्यायालय कोर्ट न 30 के तहत दिनांक 0सं0प्र0द 125 आजमगढ रागिनी बनाम ब्रम्हदेव मे धारा 3 0.03. तक गिरफ्तार कर 21 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश प्राप्त है अत माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे वारण्टी उपरोक्त : 06 को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब. वारण्टी उपरोक्त 0 बजे गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा अभि 15 पेश करने हेतु संबंधित माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना रानी की सराय

अपहरणकर्ता गिरफ्तार, अपहृता बरामद

दिनाकं 21.03.21 को समय 22.09 बजे वादिनी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ के द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.03.21 को समय 08.00 बजे रात्रि को अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र रविन्दर निवासी ग्राम कोईलारी खुर्द थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने मेरी लड़की उम्र करीब 16 वर्ष को कही बहला फुसलाकर कही भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 26/2021 धारा 363/366/504 भादवि बनाम सचिन कुमार पुत्र रविन्दर निवासी ग्राम कोईलारी खुर्द थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना व0उ0नि0 उदयराज यादव के द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित अपराध के रोकथाम के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय दिलीप कुमार सिंह के नेतृत्व मे व0उ0नि0 उदयराज यादव मय हमराही फोर्स के साथ क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों के बारे में बातचीत हो रही थी कि मुखबीर द्वारा सुचना मिली कि ग्राम कोईलारी खुर्द की अपह्यता उजाला व अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र रविन्दर निवासी ग्राम कोईलारी खुर्द थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ दोनो कही जाने के फिराक में है जो चेकपोस्ट तिराहे के पास किसी वाहन का इन्तजार कर रहे है इस सुचना पर विश्वास करके त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल मौके पर पहुँच कर अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र रविन्दर निवासी ग्राम कोईलारी खुर्द थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान –चेकपोस्ट तिराहे के पास से समय 10.30 बजे दिनांक 23.03.21

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 26/2021 धारा 363/366/504 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

सचिन कुमार पुत्र रविन्दर निवासी ग्राम कोईलारी खुर्द थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

अपह्रता को बरामद किया गया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

व0उ0नि0 उदयराज यादव, हे0का0 विनोद यादव, का0 आदर्श शाह व म0का0 पूजा पाण्डेय

थाना कन्धरापुर

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अभियान वांछित गैंगेस्टर चोर लुटेरा / नकबजन के वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगरके कुशल निर्देशन मे दि 2 03.03.21 को कन्धरापुर पुलिस टीम द्वारा मु 32 0सं0अ0/ भादवि से सम्बन्धित 379 धारा 21 वा ंछित अभियुक्त अशोक प्रजापति पुत्र सुबाष प्रजापति ग्रा लेदडूपार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ 0को दिनांक 23/03/21 को समय 12.40 बजे मन्दुरी टैक्सी स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिफ्तार अभियुक्त

अशोक प्रजापति पुत्र सुबाष प्रजापति ग्रालेदडूपार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ 0

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

मु 0सं0अ032/21 धारा 379 भादवि थाना कन्धरापुर, आजमगढ़

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ थाना कन्धरापुर - मानिकचन्द तिवारी 0नि0
2. हे विजय कुमार 0का0– थाना कन्धरापुर

जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल-नोट*35 व्यक्तियों के विरूद्ध सीआरपीसी की 151 *कार्यवाही की गयी है।